



## REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)  
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003  
Corporate Office: Plot No. I-4, Near IFFCO Chowk Metro Station,  
Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)  
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.nic.in  
CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3



एसईसी-1/187(2)/2023/1530

दिनांक: 28 दिसंबर, 2023

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), <b>Mumbai-400 051</b>	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 <sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, <b>Mumbai - 400 001</b>
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: कंपनी को जारी परामर्श पत्र की सूचना।

महोदय / महोदया

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('एलओडीआर विनियम') की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई और एनएसई) द्वारा संबंधित पक्षकार लेनदेन (आरपीटी) के संबंध में एलओडीआर विनियमों के अनुपालन के संबंध में कंपनी को दिनांक 27 दिसंबर, 2023 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया है। अन्य अपेक्षित विवरण इसके साथ **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,  
  
(जे. एस. अमिताभ)  
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	प्राधिकारी का नाम;	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।
2.	की गई कार्रवाई, शुरू की गई या पारित किए गए आदेश की प्रकृति और विवरण	संबंधित पक्षकार लेनदेन (आरपीटी) की पूर्व मंजूरी के संबंध में एलओडीआर विनियमों के अनुपालन के संबंध में दिनांक 27 दिसंबर, 2023 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया है।
3.	निर्देश या आदेश की प्राप्ति की तारीख, जिसमें कोई विज्ञापन-अंतरिम या अंतरिम आदेश, या प्राधिकरण से कोई अन्य पत्र-व्यवहार शामिल है;	27 दिसंबर 2023
4.	किए गए या किए जाने वाले कथित उल्लंघन(उल्लंघनों)/उल्लंघनों का विवरण;	तात्कालिकता के कारण, 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान दर्ज किए गए संबंधित पक्षकार लेनदेन के मामले में लेखापरीक्षा समिति की कार्योत्तर मंजूरी ली गई थी।
5.	सूचीबद्ध एंटीटी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, जहां तक संभव हो मौद्रिक संदर्भ में मात्रात्मक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।	कंपनी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।  कंपनी हमेशा सभी लागू कानूनों और विनियमों का सही अर्थों में पालन करने का प्रयास करती है।

\*\*\*\*\*